न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या । 754 / 2021

2021 / 478

वादी :–

रामसिंह पुत्र श्री कानसिंह

कौम राजपूत निवासी बोरावास

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

गोपीदेवी w. मोहनसिंह

वगैरह

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री रामसिंह स्वंय वादी।

2..श्री [illegible] पचपदरा प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 23.10.2021

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काष्त की भूमि खेत खसरा नं ......300...... रकबा ......121.6...... बीघा,

सरहद मौजा ......काकड़ली...... तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काष्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम ......कानसिंह...... होने से राजस्व रेकर्ड में ......कानसिंह...... दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ... पत्र, राशन कार्ड में वादी का नाम ......रामसिंह...... है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं ...... फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी नें राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज ......कानसिंह...... के स्थान पर ......रामसिंह...... सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:49:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेष कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम ....कानूसिंह........ के स्थान पर ....रामसिंह........ दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच ....[illegible]........ तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं ....300........ रकबा ....1.21........ बीघा, सरहद मौजा ....आकड़ली चनसिंह.... तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम ....कानूसिंह........ दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत ~~समदड़ी~~ आकड़ली एवं तहसीलदार ....[illegible].... की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम ....कानूसिंह.... दर्ज किया गया है वादी का सही नाम ....रामसिंह.... है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं ....300........ रकबा ....1.21........ बीघा, सरहद मौजा ....आकड़ली चनसिंह........

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ....कानूसिंह........ पुत्र ....करणसिंह........ के स्थान पर ....रामसिंह........ पुत्र ....करणसिंह........ खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेषित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिष्चित करें।

निर्णय आज दिनांक ....23-10-2014........ को कोर्ट केम्प कोर्ट ....आकड़ली ग्राम........ में मजमे आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:49:16 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

केम्प कोर्ट......आकली बलोतरा......

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादीगण	प्रतिवादीगण
रामसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत नि० डोरावास तहसील पचपदरा जिला बाडमेर	गोपीदेवी w/o मोहनसिंह वगैरह राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– /2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री ......रामसिंह.......वादी स्वंय मिनजानिब श्री ......[illegible]...... पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि **वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर** खेत खसरा नं ....300..........रकबा ....12.10........ बीघा, सरहद मौजा......आकली धनसिंह......
....

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ......कानूसिंह......पुत्र ......रूपसिंह...... के स्थान पर ......रामसिंह...... पुत्र......रूपसिंह......खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....23.10.2021.... को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:49:16 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		